मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 59

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	38079.55	2561.80	40641.35	45969.00	2812.00	48781.00	42729.00	2813.00	45542.00	49659.00	3042.00	52701.00
	पूंजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	**38079.55**	**2561.80**	**40641.35**	**45969.00**	**2812.00**	**48781.00**	**42729.00**	**2813.00**	**45542.00**	**49659.00**	**3042.00**	**52701.00**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	...	4.77	4.77	...	5.65	5.65	...	5.42	5.42	...	6.06	6.06
सामान्य शिक्षा													
प्राथमिक शिक्षा													
2. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	2202	0.31	...	0.31	4.00	...	4.00	2.85	...	2.85	2.02	...	2.02
	3601	350.51	...	350.51	426.00	...	426.00	235.14	...	235.14	429.07	...	429.07
	3602	14.42	...	14.42	20.00	...	20.00	11.01	...	11.01	18.30	...	18.30
	जोड़	*365.24*	*...*	*365.24*	*450.00*	*...*	*450.00*	*249.00*	*...*	*249.00*	*449.39*	*...*	*449.39*
3. महिला समाख्या	2202	49.92	...	49.92	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	58.00	...	58.00
4. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	2202	3.65	5.88	9.53	12.60	7.14	19.74	4.90	6.83	11.73	7.20	7.66	14.86
5. स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2202	22.40	...	22.40	56.83	...	56.83	44.83	...	44.83	72.39	...	72.39
	3601	3498.63	...	3498.63	3518.37	...	3518.37	3408.61	...	3408.61	3698.59	...	3698.59
	3602	71.98	...	71.98	132.35	...	132.35	125.05	...	125.05	146.52	...	146.52
	जोड़	*3593.01*	*...*	*3593.01*	*3707.55*	*...*	*3707.55*	*3578.49*	*...*	*3578.49*	*3917.50*	*...*	*3917.50*
6. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	2202	9001.65	...	9001.65	8292.62	...	8292.62	7324.89	...	7324.89	8079.18	...	8079.18
	3601	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
	जोड़	*9001.65*	*...*	*9001.65*	*8292.64*	*...*	*8292.64*	*7324.89*	*...*	*7324.89*	*8079.20*	*...*	*8079.20*
7. राष्ट्रीय निवेश निधि													
7.01 राष्ट्रीय निवेश निधि का आय और व्यय खाते में अंतरण	3475	131.25	...	131.25	108.75	...	108.75	108.75	...	108.75	...	...	...
7.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित योजना													
7.02.01 स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2202	20.00	...	20.00	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	...	...	...
	3601	111.25	...	111.25	87.75	...	87.75	87.75	...	87.75	...	...	...
	जोड़	*131.25*	*...*	*131.25*	*108.75*	*...*	*108.75*	*108.75*	*...*	*108.75*	*...*	*...*	*...*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
7.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	2202	-20.00	...	-20.00	-21.00	...	-21.00	-21.00	...	-21.00	...	...	...
	3601	-111.25	...	-111.25	-87.75	...	-87.75	-87.75	...	-87.75	...	...	...
	जोड़	*-131.25*	...	*-131.25*	*-108.75*	...	*-108.75*	*-108.75*	...	*-108.75*	...	...	...
	कुल	*131.25*	...	*131.25*	*108.75*	...	*108.75*	*108.75*	...	*108.75*	...	...	...
8. प्रारंभिक शिक्षा कोष को अंतरण (पीएसके)	2202	18334.00	...	18334.00	21670.00	...	21670.00	20667.34	...	20667.34	24429.00	...	24429.00
9. प्रारंभिक शिक्षा कोष से वित्त पोषित स्कीमें (पीएसके)													
9.01 स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2202	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3601	6161.45	...	6161.45	6926.00	...	6926.00	6661.76	...	6661.76	7975.00	...	7975.00
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*6166.45*	...	*6166.45*	*6927.00*	...	*6927.00*	*6662.76*	...	*6662.76*	*7976.00*	...	*7976.00*
9.02 सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)	2202	11839.82	...	11839.82	14743.00	...	14743.00	14004.58	...	14004.58	16453.00	...	16453.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*11839.82*	...	*11839.82*	*14743.00*	...	*14743.00*	*14004.58*	...	*14004.58*	*16453.00*	...	*16453.00*
जोड़- प्रारंभिक शिक्षा कोष से वित्त पोषित स्कीमें (पीएसके)		*18006.27*	...	*18006.27*	*21670.00*	...	*21670.00*	*20667.34*	...	*20667.34*	*24429.00*	...	*24429.00*
10. प्रारंभिक शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि (पीएसके)	2202	-11844.82	...	-11844.82	-14744.00	...	-14744.00	-14005.58	...	-14005.58	-16454.00	...	-16454.00
	3601	-6161.45	...	-6161.45	-6926.00	...	-6926.00	-6661.76	...	-6661.76	-7975.00	...	-7975.00
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*-18006.27*	...	*-18006.27*	*-21670.00*	...	*-21670.00*	*-20667.34*	...	*-20667.34*	*-24429.00*	...	*-24429.00*
11. मदरसों में गुणता मूलक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम)	2202	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02
	3601	139.53	...	139.53	153.99	...	153.99	173.99	...	173.99	156.50	...	156.50
	3602	...	...	...	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	0.98	...	0.98
	जोड़	*139.53*	...	*139.53*	*157.50*	...	*157.50*	*177.50*	...	*177.50*	*157.50*	...	*157.50*
12. अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास की योजनाएं (आईडीएमआई)	2202	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3601	48.44	...	48.44	44.98	...	44.98	23.38	...	23.38	44.99	...	44.99
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*48.44*	...	*48.44*	*45.00*	...	*45.00*	*23.39*	...	*23.39*	*45.00*	...	*45.00*
जोड़-प्राथमिक शिक्षा		**31666.69**	**5.88**	**31672.57**	**34504.04**	**7.14**	**34511.18**	**32194.26**	**6.83**	**32201.09**	**37142.79**	**7.66**	**37150.45**
माध्यमिक शिक्षा													
13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	2202	21.79	198.05	219.84	13.50	212.70	226.20	10.53	176.54	187.07	13.50	228.30	241.80
14. केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2202	350.00	1885.00	2235.00	315.00	2086.24	2401.24	315.00	2104.34	2419.34	315.00	2249.24	2564.24

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
15. नवोदय विद्यालय समिति	2202	1200.00	421.90	1621.90	1124.30	451.05	1575.35	1124.30	471.40	1595.70	1125.00	498.29	1623.29
16. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	2202	2499.81	...	2499.81	2811.58	...	2811.58	2859.21	...	2859.21	3647.18	...	3647.18
	3601	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*2499.81*	*...*	*2499.81*	*2811.60*	*...*	*2811.60*	*2859.23*	*...*	*2859.23*	*3647.20*	*...*	*3647.20*
17. उत्कृष्टता के बेंच मार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना संबंधी योजना	2202	1088.39	...	1088.39	971.98	...	971.98	686.51	...	686.51	899.98	...	899.98
	3601	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
	जोड़	*1088.39*	*...*	*1088.39*	*972.00*	*...*	*972.00*	*686.51*	*...*	*686.51*	*900.00*	*...*	*900.00*
18. विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	2202	3.03	...	3.03	29.00	...	29.00	8.41	...	8.41	19.90	...	19.90
	3601	486.29	...	486.29	281.00	...	281.00	305.59	...	305.59	291.35	...	291.35
	3602	6.40	...	6.40	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	3.75	...	3.75
	जोड़	*495.72*	*...*	*495.72*	*315.00*	*...*	*315.00*	*315.00*	*...*	*315.00*	*315.00*	*...*	*315.00*
19. माध्यमिक विद्यालय में विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)	2202	...	...	...	0.44	...	0.44	0.44	...	0.44	0.66	...	0.66
	3601	81.75	...	81.75	60.56	...	60.56	23.81	...	23.81	43.00	...	43.00
	3602	1.41	...	1.41	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	1.34	...	1.34
	जोड़	*83.16*	*...*	*83.16*	*63.00*	*...*	*63.00*	*25.25*	*...*	*25.25*	*45.00*	*...*	*45.00*
20. राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन संस्थान	2202	8.50	...	8.50	0.10	...	0.10	0.03	...	0.03	0.10	...	0.10
21. सुलभता और साम्यता	2202	0.15	...	0.15	0.10	...	0.10	0.03	...	0.03	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*0.15*	*...*	*0.15*	*0.10*	*...*	*0.10*	*0.03*	*...*	*0.03*	*...*	*...*	*...*
22. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सोसाइटी प्रशासन	2202	7.15	41.65	48.80	6.00	43.00	49.00	4.98	42.62	47.60	6.00	46.14	52.14
23. शिक्षा का व्यावसायीकरण	2202	...	...	...	12.00	...	12.00	0.70	...	0.70	10.24	...	10.24
	3601	16.50	...	16.50	76.00	...	76.00	69.03	...	69.03	60.61	...	60.61
	3602	...	...	...	2.00	...	2.00	...	...	...	1.24	...	1.24
	जोड़	*16.50*	*...*	*16.50*	*90.00*	*...*	*90.00*	*69.73*	*...*	*69.73*	*72.09*	*...*	*72.09*
24. माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्कीम (सक्सेस)	2202	163.17	...	163.17	89.98	...	89.98	89.98	...	89.98	89.98	...	89.98
	3601	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	जोड़	*163.17*	*...*	*163.17*	*90.00*	*...*	*90.00*	*90.00*	*...*	*90.00*	*90.00*	*...*	*90.00*
25. माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावास निर्माण और संचालन की योजना	2202	...	...	...	4.50	...	4.50	...	...	...	0.50	...	0.50
	3601	194.70	...	194.70	400.49	...	400.49	282.80	...	282.80	404.49	...	404.49
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
	जोड़	*194.70*	*...*	*194.70*	*405.00*	*...*	*405.00*	*282.80*	*...*	*282.80*	*405.00*	*...*	*405.00*
26. भाषा अध्यापकों की नियुक्ति	2202	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	0.03	...	0.03
	3601	17.74	...	17.74	5.16	...	5.16	1.38	...	1.38	5.16	...	5.16
	3602	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	0.03	...	0.03
	जोड़	*17.74*	*...*	*17.74*	*5.22*	*...*	*5.22*	*1.38*	*...*	*1.38*	*5.22*	*...*	*5.22*
27. राष्ट्रीय साधन सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना	2202	62.69	...	62.69	63.00	...	63.00	63.00	...	63.00	63.00	...	63.00
	6202	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*62.69*	*...*	*62.69*	*63.00*	*...*	*63.00*	*63.00*	*...*	*63.00*	*63.00*	*...*	*63.00*
28. अन्य कार्यक्रम	2202	0.17	1.88	2.05	1.00	2.80	3.80	0.83	2.52	3.35	...	2.70	2.70
जोड़-माध्यमिक शिक्षा		**6209.64**	**2548.48**	**8758.12**	**6274.82**	**2795.79**	**9070.61**	**5848.60**	**2797.42**	**8646.02**	**7002.11**	**3024.67**	**10026.78**
प्रौढ़ शिक्षा													
29. प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास योजना	2202	468.12	...	468.12	531.00	...	531.00	378.80	...	378.80	514.80	...	514.80
30. प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केन्द्रों को सहायता	2202	96.13	...	96.13	94.50	...	94.50	72.83	...	72.83	90.00	...	90.00
31. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2202	9.50	2.25	11.75	8.10	2.63	10.73	3.08	2.60	5.68	8.10	2.82	10.92
32. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	2202	0.15	...	0.15	1.80	0.07	1.87	0.69	0.03	0.72	1.80	0.03	1.83
	2251	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*0.15*	*...*	*0.15*	*1.80*	*0.07*	*1.87*	*0.69*	*0.03*	*0.72*	*1.80*	*0.03*	*1.83*
33. अन्य कार्यक्रम	2202	...	0.42	0.42	...	0.72	0.72	...	0.70	0.70	...	0.76	0.76
जोड़-प्रौढ़ शिक्षा		**573.90**	**2.67**	**576.57**	**635.40**	**3.42**	**638.82**	**455.40**	**3.33**	**458.73**	**614.70**	**3.61**	**618.31**
जोड़-सामान्य शिक्षा		**38450.23**	**2557.03**	**41007.26**	**41414.26**	**2806.35**	**44220.61**	**38498.26**	**2807.58**	**41305.84**	**44759.60**	**3035.94**	**47795.54**
34. पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान													
34.01 अध्यापक शिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	2552	...	...	...	50.00	...	50.00	43.00	...	43.00	50.61	...	50.61
34.02 महिला सामख्या	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
34.03 राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	2552	...	...	...	1.40	...	1.40	0.55	...	0.55	0.80	...	0.80
34.04 स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2552	...	...	...	1193.70	...	1193.70	1150.00	...	1150.00	1321.50	...	1321.50

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
34.05	सर्वशिक्षा अभियान	2552	...	...	...	2519.36	...	2519.36	2315.53	...	2315.53	2725.80	...	2725.80
34.06	मदरसों में गुणता मूलक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम)	2552	...	...	...	17.50	...	17.50	17.50	...	17.50	17.50	...	17.50
34.07	अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास की योजनाएं (आडीएमआई)	2552	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
34.08	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	2552	...	...	...	1.50	...	1.50	1.17	...	1.17	1.50	...	1.50
34.09	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2552	...	...	...	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00
34.10	नवोदय विद्यालय समिति	2552	...	...	...	125.70	...	125.70	125.70	...	125.70	125.00	...	125.00
34.11	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	2552	...	...	...	312.40	...	312.40	313.40	...	313.40	335.80	...	335.80
34.12	उत्कृष्टता के बैंच मार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना संबंधी योजना	2552	...	...	...	108.00	...	108.00	63.49	...	63.49	100.00	...	100.00
34.13	विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	2552	...	...	...	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00
34.14	माध्यमिक विद्यालय में विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)	2552	...	...	...	7.00	...	7.00	2.80	...	2.80	5.00	...	5.00
34.15	सुलभता और साम्यता	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34.16	शिक्षा का व्यावसायीकरण	2552	...	...	...	10.00	...	10.00	10.27	...	10.27	8.01	...	8.01
34.17	माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्कीम	2552	...	...	...	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
34.18	माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावास निर्माण और संचालन की योजना	2552	...	...	...	45.00	...	45.00	44.20	...	44.20	45.00	...	45.00
34.19	भाषा अध्यापकों की नियुक्ति	2552	...	...	...	0.58	...	0.58	0.53	...	0.53	0.58	...	0.58
34.20	राष्ट्रीय साधन सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना	2552	...	...	...	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
34.21	प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास योजना	2552	...	...	...	59.00	...	59.00	42.09	...	42.09	57.20	...	57.20
34.22	प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केन्द्रों को सहायता	2552	...	...	...	10.50	...	10.50	7.61	...	7.61	10.00	...	10.00
34.23	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2552	...	...	...	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90
34.24	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	2552	...	...	...	0.20	...	0.20	...	...	...	0.20	...	0.20
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभार्थ			...	...	...	*4554.74*	...	*4554.74*	*4230.74*	...	*4230.74*	*4899.40*	...	*4899.40*

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान													
35. वास्तविक वसूलियां	2202	-27.58	...	-27.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	-343.10	...	-343.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	*-370.68*	...	*-370.68*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		*38079.55*	*2561.80*	*40641.35*	*45969.00*	*2812.00*	*48781.00*	*42729.00*	*2813.00*	*45542.00*	*49659.00*	*3042.00*	*52701.00*
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सामान्य शिक्षा	22202	38079.55	...	38079.55	41414.26	...	41414.26	38498.26	...	38498.26	44759.60	...	44759.60
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	4554.74	...	4554.74	4230.74	...	4230.74	4899.40	...	4899.40
जोड़		**38079.55**	**...**	**38079.55**	**45969.00**	**...**	**45969.00**	**42729.00**	**...**	**42729.00**	**49659.00**	**...**	**49659.00**

1. **सचिवालय:** सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान।

2. **अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का सशक्तीकरण:** शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय नीति, १९८६ के बनाए जाने के अनुसरण में शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रयोजित योजना का शुभारम्भ सन् १९८७ में किया गया। योजना का मार्च, २०१२ में संशोधन किया गया। योजना में शिक्षा का अधिकार के अधिदेश के अनुसार राज्यों में समग्र शिक्षा विकास के साथ अध्यापक शिक्षा के एकीकरण की कल्पना की गई है। इससे अध्यापक शिक्षा संस्थाओं, विशेष रूप से पूर्व और पूर्वोतर क्षेत्र के कुछ कमी वाले राज्यों की क्षमता के विस्तार में भी सहायता मिलेगी तथा बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। योजना, आर एम एस ए के आलोक में माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सांस्थानिक क्षमता में विस्तार करने में भी सहायता मिलेगी एवं इसके प्राथमिक अध्यापक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा प्रणाली से जोड़ने में भी सहायता मिलेगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता, सिविल कार्यों, उपस्करों की खरीद, वेतन और भत्तों, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों इत्यादि के लिए दी जाएगी। निधियन मानदण्ड सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए ७५:२५ के अनुपात में होगा (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ९०:१०)।

3. **महिला समाख्या कार्यक्रम:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति, १९८६ में अंतर्निहित उद्देश्यों के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं की शिक्षा एवं अधिकारिता के लिए कार्यक्रम शुरू करने के लिए महिला समाख्या योजना शुरू की गई थी। यह योजना इस समय ग्यारह राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ में क्रियान्वित की जा रही है।

4. **राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली:** भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा १९५६ में स्थापित राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली एक स्वायत्त निकाय है जिसका संपूर्ण वित्त-पोषण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बाल भवन ५ से १६ वर्ष की आयु वर्ग के, विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने की दिशा में योगदान देता रहा है।

5. **स्कूलों में मध्याहून भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम:** नामांकन, अवधारण और उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों में पोषण स्तर में वृद्धि करने की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में प्रारम्भ में देश के २४०८ ब्लॉकों में १५ अगस्त, १९९५ को आरंभ किया गया था। क्रमशः इसे प्राथमिक स्तर के बच्चों को शामिल करने के लिए देश के सभी ब्लॉकों में विस्तारित किया गया। अक्तूबर, २००७ में इस योजना को पुनः संशोधित करके इसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े ३४७९ ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा VI से VIII) के बच्चों को शामिल किया गया। वर्ष २००८-०९ से इस कार्यक्रम के तहत देश भर के सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा I से VIII)तक के सभी बच्चों को शामिल किया गया है।

6. **सर्व शिक्षा अभियान:** भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान देश में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की भागीदारी से कार्यान्वित होने वाला फ्लैगशिप कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान देश के सभी जिलों में प्रारंभिक शिक्षा की सुलभता, अवधारण और गुणवत्ता सुधार को सुनिश्चित करता है। १०वीं योजना के दौरान केन्द्र और राज्यों के मध्य व्यय की भागीदारी ७५:२५ के आधार पर थी। ग्यारहवीं योजनावधि के पहले दो वर्षों के लिए ६५:३५, तीसरे वर्ष के लिए ६०:४०, चौथे वर्ष के लिए ५५:४५ और तत्पश्चात् ५०:५० का निधीयन पैटर्न होगा। ८ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम के

अंतर्गत निधीयन पैटर्न ९०:१० का है जिसमें केन्द्रीय हिस्सेदारी सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रीय बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट १०% निधियों में से होगी। तथापि १.४.२०१० से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के परिणामस्वरूप २०१०-११ से २०१४-१५ की अवधि के लिए शिक्षा का अधिकार-सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के संबंध में निधियन पैटर्न को संशोधित किया गया है तथा पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हिस्सेदारी ६५:३५ में होगी। ८ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्र तथा राज्यों के बीच ९०:१० की मौजूदा निधि हिस्सेदारी जारी रहेगी।

8. **प्रारंभिक शिक्षा कोष:** 'वित्त (संख्या २) अधिनियम, २००४ के माध्यम से सभी प्रमुख केन्द्रीय करों पर २ प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर के लागू होने से शिक्षा उपकर की प्राप्तियों के लिए अव्यपगत निधियों हेतु १४/११/२००५ को प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना की गई। प्रारंभिक शिक्षा कोष की कार्य प्रणाली/कार्य पद्धति पर भारत के नियंत्रक और महालेखाकार कार्यालय की सहमति है। प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना के संबंध में दिनांक ३० अगस्त, २००६ की अधिसूचना/संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।'

11. **मदरसा में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं:** औपचारिक शिक्षा विषय में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानकों को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम बच्चों को योग्य बनाने हेतु इस योजना के माध्यम से मदरसों में गुणवत्ता में सुधार किया जाता है।

12. **अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचनात्मक विकास की योजना:** दिसम्बर २००८ से क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचनात्मक विकास योजना के रूप में संशोधित किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्कूल अवसंरचना के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण द्वारा यह योजना अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करेगी।

13. **राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद:** राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष १९६१ में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इस परिषद का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों को उनकी नीतियों को बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने तथा स्कूल शिक्षा में गुणवत्तापरक सुधार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना को अंतिम रूप देने सहित मुख्य कार्यक्रमों के लिए सलाह देना और सहायता प्रदान करना था। वर्ष २००६-०७ से स्कूलों में गुणवत्ता सुधार योजना जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम, स्कूलों में पर्यावरणीय पुनश्चर्या कार्यक्रम, स्कूलों में योग का आरंभ और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड जैसे घटक शामिल हैं, को कार्यान्वयन हेतु एनसीईआरटी को स्थानांतरित कर दिया गया है।

14. **केन्द्रीय विद्यालय संगठन:** केन्द्रीय विद्यालय संगठन का गठन वर्ष १९६५ में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, नियंत्रण और प्रबंधन हेतु एक पंजीकृत निकाय के रूप में सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संगठन के तौर पर किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य स्थानांतरणीय केन्द्र सरकार कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

15. **नवोदय विद्यालय समिति:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति- १९८६ (१९९२ में यथा संशोधित) के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना हेतु वर्ष १९८६ में भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय योजना आरंभ की गई थी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, १८६० के अंतर्गत वर्ष १९८६ में स्थापित स्वायत्त संगठन, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा चलाए जाते हैं।

16. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान:** सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उच्च प्राथमिक स्तर पूरा करने वाले छात्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, अतः यह आवश्यक पाया गया है कि माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जाए। तदनुसार मार्च, २००९ में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की एक नई योजना आरंभ की गई। इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष २००९-१० से आरंभ हो गया है।

17. **उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर ६००० आदर्श स्कूलों की स्थापना हेतु योजना:** १५ अगस्त, २००७ को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण के पश्चात् प्रति ब्लाक एक स्कूल की दर से ६००० आदर्श स्कूलों की स्थापना की योजना वर्ष २००९-१० में आरम्भ की गई थी। इनमें से ३५०० स्कूल, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के माध्यम से शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाक में स्थापित किए जाने हैं और शेष २५०० स्कूल सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत उन ब्लाकों में स्थापित किए जाने हैं जो शैक्षिक तौर पर पिछड़े हुए नहीं हैं। इस योजना के राज्य क्षेत्र संघटक का कार्यान्वयन २००९-१० से और सार्वजनिक निजी भागीदारी का २०१२-१३ से आरम्भ किया गया है।

18. **स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी:** वर्ष २००६ में स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन तथा शैक्षणिक की विद्यमान स्कीमों का समावेशन करके स्कूलों में सूचना और जनसंचार प्रौद्योगिकी नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आरंभ की थी ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विविधता को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष बल के साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर के माध्यम से अध्ययन को प्रोन्नत किया जा सके। आईसीटी स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता ७५% है। निधियों का शेष २५%, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा या राज्य सरकार योगदान के अतिरिक्त या विकल्प के रूप में एमपीएलएडी स्कीम से पूरा किया जाता है। विशेष श्रेणी के राज्यों नामतः पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश को ९०:१० के अनुपात में सहायता दी जाती है। स्कीम को आर्थिक कार्यकलाप संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन से दिनांक 9 जनवरी, 2010 को संशोधित किया गया है।

19. **माध्यमिक स्कूलों में शारीरिक रूप से नि:शक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा:** कक्षा ९-१२ तक शारीरिक रूप से नि:शक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा के सहायातार्थ माध्यमिक स्तर पर अप्रैल, २००९ से शारीरिक रूप से नि:शक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की एक नई स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम में शामिल सभी मदों के लिए सहायता १०० प्रतिशत आधार पर दी जाएगी। राज्य सरकारों को प्रत्येक बच्चे के लिए ६०० रूपये प्रति वर्ष तक प्रदान करना भी आवश्यक है।

20. **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान:** पूर्व में राष्ट्रीय मुक्त स्कूल के नाम से जाने जाने वाले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की स्थापना वर्ष १९८९ में की गई थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और पूर्व डिग्री स्तर पर इसके शैक्षणिक, जीवन संवर्धन और व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रमों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना है। यह स्कूल स्तर पर मुक्त अध्ययन प्रणाली के माध्यम से औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में शिक्षा प्रदान करता है।

21. **पहुँच और समानता:** स्कीम को बंद कर दिया गया है।

22. **केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन:** केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन की स्थापना एक स्वायत्त संगठन के रूप में वर्ष १९६१ में की गई थी। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में फैले तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन के ७९ स्कूल हैं।

23. **शिक्षा का व्यवसायोन्मुखीकरण:** 'माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायोन्मुखीकरण' की केन्द्र-प्रायोजित योजना वर्ष १९८८ में शुरू की गई थी जिसका कार्यान्वयन कक्षा X-XII में क्रमश: औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से किया जाना था। १५.९.२०११ के सीसीईए द्वारा यथाअनुमोदित संशोधित योजना का लक्ष्य कक्षा X-XII में व्यवसायिक शिक्षा का सुदृढीकरण करना है। अनुमोदित घटकों में राज्य सरकारों के जरिये १००० मौजूदा व्यावसायिक स्कूलों का सुदृढ़ीकरण और १०० नए व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना, पीपीपी मोड के अंतर्गत ५०० व्यावसायिक स्कूलों को सहायता, प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम विशेष के लिए शिक्षक और २५० दक्षता आधारित मॉड्यूलों का विकास शामिल हैं। हरियाणा और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए इस योजना के अंतर्गत 'राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता संरचना' के लिए कक्षा-IX में प्रायोगिक कार्यक्रम भी अनुमोदित किए गए हैं।

24. **माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय योजना:** वर्ष २००६-०७ का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में पढ़ने वाली बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु एक योजना वर्ष २००८-०९ में प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्देश्य, एक ऐसा समर्थनकारी पर्यावरण स्थापित करने का है जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की लड़कियों का पढ़ाई बीच में छोड़ना कम हो और नामांकन बढ़े तथा उन का स्कूल में बना रहना सुनिश्चित हो

25. **माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण तथा उन्हें चलाने के लिए योजना:** माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए बालिका छात्रावास सुविधाओं के सृजन के लिए एक नई योजना आरंभ की गयी है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रत्येक ब्लॉक (लगभग ३५०० ब्लॉक) में एक बालिका छात्रावास स्थापित किया जाना है। ये छात्रावास जहां व्यवहार्य हों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्थापित होंगे और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर उन्हें आवासीय माध्यमिक स्कूलों में प्रोन्नत कर दिया जाएगा।

26. **भाषा अध्यापकों की नियुक्ति:** योजना के अधीन वित्तीय सहायता गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों, किसी ऐसी जगह पर जहाँ २५% से अधिक जनसंख्या ऊर्दू बोलने वाले समुदाय की हो, ऊर्दू शिक्षकों और हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उन स्कूलों में तृतीय भाषा पढ़ाने के लिए आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों को जो उन की मांग करें, दी जाती है।

27. **राष्ट्रीय साधन सह प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना:** राष्ट्रीय साधन सह प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना में जो सन् २००८ में आरंभ की गयी थी IX कक्षा में प्रति वर्ष ६०००/- रूपए (५००/- रूपए प्रति माह) की एक लाख छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान है। पात्रता मानदण्ड पूरा करने की शर्त पर कक्षा XII तक जारी रहता है। योजना का उद्देश्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देना है जिससे कि उन्हें कक्षा VIII में पढ़ाई छोड़ने से रोका जाए और उसे माध्यमिक स्टेज अर्थात् XII कक्षा तक जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

28. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार का प्रावधान शामिल है।

29. **प्रौढ़. शिक्षा तथा कौशल विकास योजना:** साक्षरता अभियान और आपरेशन रेस्टोरेशन तथा नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा की मौजूदा योजनाओं को प्रौढ शिक्षा एवं कौशल विकास की एकल योजना में विलयित कर दिया गया है और अब इसे साक्षर भारत कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है जो मौजूदा दोनों योजनाओं को कवर करेगा।

30. **प्रौढ शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केन्द्रों को सहायता:** इस नई योजना में प्रौढ शिक्षा तथा जन शिक्षण संस्थान के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों को सहायता की दो मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को १५-३५ आयु वर्ग में प्रौढ निरक्षरों को साक्षरता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित राज्य संसाधन केन्द्र भी इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करते हैं।

31. **प्रौढ शिक्षा निदेशालय:** प्रौढ शिक्षा निदेशालय प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता रहा है। इस निदेशालय की स्थापना देश में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वियन करने वाली विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों को शैक्षिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता देने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गयी थी। प्रौढ शिक्षा निदेशालय का वित्तपोषण पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

32. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण:** राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के स्वायत्त विंग के रूप में १९८८ में की गयी थी।

33. **अन्य कार्यक्रम:** प्रौढ शिक्षा केन्द्र, दिल्ली के लिए प्रावधान।